उपखण्ड अधिकारी
अलवर

20-1-25 पत्रावली पेश हुई बमुताबिक उपरोक्त
निर्णय प्रकरण के निस्तारण जाकर
रेवेन्यू न्यायालय में सुनवाई बाबत
पत्रावली नम्बर के क्रम के बाद
एकजाई पत्रावली दाखिल दफ्तर
होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रतिपादित — जारी आ

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/77	12.07.2024	20–01–2025

उनवान

1:–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील व जिला अलवर, राजस्थान

वादी/प्रार्थी

बनाम

1:–सन्दीप सिंह पुत्र सूरजभान सिंह जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर

असल प्रतिवादी/अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम

निर्णय

वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम मूगस्का तहसील अलवर के खातेदार श्री सन्दीप सिंह पुत्र सूरजभान जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर आराजी के सम्पूर्ण रकबे के खातेदार है उक्त वर्णित कृषि भूमी खातेदारीशुदा सम्पदा है जिनको पक्षकार द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अकृषि कार्यो मे उपयोग मे ली जा रही है उक्त वर्णित आराजी को अप्रार्थी खुर्द–बुर्द कर मौका सूरत व राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन करने या अन्य किसी भी प्रकार से बेचान एंव हस्तांतरित कर उपयोग उपभोग से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर सादर प्रार्थनीय है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रथम दृष्टया केस, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे है इसलिये अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र मे अंकित कृषि भूमी को खुदबुर्द करने, अन्यत्र बेचान करने, उपयोग करने से बाज रहे वादग्रस्त कृषि भूमी पर किसी प्रकार का अस्थाई/स्थाई निर्माण ना करे, वादग्रस्त कृषि भूमी की प्रकृति व उपयोग मे बदलाव नही करे राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्र्टड कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी ने जर्ये वकील जवाव पेश किया कि वाद का चरण स0 1 जिस तरह वर्णित किया गया है स्वीकार है एंव वाद चरण स0 2 जिस तरह वर्णित किया है अस्वीकार है वाद चरण स0 3 जिस तरह वर्णित किया है गलत है स्वीकार नही है विवादित आराजी खसरा नम्वर 312 रकवा 1.24 है0 वाके ग्राम मूगस्का तहसील अलवर मे स्थित है जिमन हाजा मे यह कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग किया जा रहा है सरासर गलत है वल्कि वास्तविक तथ्य यह है कि मिन प्रतिवादी द्वारा अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी का संपरिवर्तन कराने हेतु विवादित आराजी की साफ–सफाई करवाई गई थी तथा मिन प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी के संपरिर्वतन कराने हेतु तहसीलदार साहब के यहा नियमानुसार आवेदन किया हुआ है और वांछित राशि जमा कराई हुई है जिसकी रसीद जवाब के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत की जा रही है मिन प्रतिवादी अपनी आराजी मे लघु उधोग लगाना चाहता है जिसके लिये मिन प्रतिवादी ने बाकायदा एम एस ई मी मे सूक्ष्म लघु और मध्यम उधम मंत्रालय मे रजिस्ट्रेशन भी करायार हुआ है ताईद मे एकनोलेजमेन्ट दिनॉक 11–10–2016 की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है इसलिये मिन प्रतिवादी के विरूद्व धारा 177 की उप धारा 4 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना कतई गलत एंव विधि विरूद्व है तथा न्याय संगत नही है मिन प्रतिवादी द्वारा अपनी आराजी भूमी का किसी प्रकार से अकृषि से अकृषि कार्य के लिये उपयोग नही किया गया है न ही किया जा रहा है मौके के फोटोग्राफ वक्त बहस प्रस्तुत किये जायेगे इसलिये वादी को मिन प्रतिवादी के विरूद्व न्यायालय हाजा मे वाद लाने का कोई न्यायोचित व न्यायसंगत कारण नही है वादी द्वारा गलत तथ्यो के साथ वाद प्रस्तुत किया गया है जो निराधार है इसलिय दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है वाद का चरण स0 4 जिस तरह वर्णित किया गया है स्वीकार नही है प्रार्थी अप्रार्थीगण को किसी तरह से जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द कराने का अधिकारी नही है मिन अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी का किसी प्रकार से अकृषि कार्य के लिये उपयोग उपभोग नही किया जा रहा हे न ही किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस दौरान मे वकुलाय ने अपने अपने प्रार्थना पत्र एंव जबाव मे अंकित कथनो को ही दोहराया गया कि प्रतिवादी ने बाकायदा एम एस ई मी मे सूक्ष्म लघु और मध्यम उधम मंत्रालय मे रजिस्ट्रेशन भी करायार हुआ है ताईद मे एकनोलेजमेन्ट दिनॉक 11–10–2016 की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत कर दी गई है एम एस ई मी मे सूक्ष्म लघु और मध्यम उधम मंत्रालय मे रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है ताईद मे एकनोलेजमेन्ट दिनॉक 11–10–2016 की प्रति पेश की जा चुकी है एंव तहसील अलवर मे प्रस्तुत भूमी पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के आवेदन की रिसिप्ट सहित प्रति पेश की गई तथा गूगल के जर्ये फोटोग्राप पेश कि गई जिसमे भी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण प्रर्दशित नही हो रहा है आराजी जमाबन्दी पर स्थगन का अंकन होने के कारण रूपान्तरण पत्रावली पर किसी भी विभाग द्वारा आपत्ति/अनापत्ति बावत किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नही की जा रही है

प्रकरण मे मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया मौका कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया कि पटवारी हल्का देवखेडा तहसील अलवर के साथ आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम मूगस्का तहसील अलवर का मौका निरीक्षण किया गया वादग्रस्त आराजी की नाप की गई जो उत्तर से दक्षिण 122 मीटर एंव पूर्व से पश्चिम 91 मीटर नाप दर्ज की गई उक्त आराजी पर कोई निर्माण नही है आराजी खाली पडी हुई है एक तरफ पश्चिम को आधा ट्रोली के करीब पत्थर पडे हुये है उक्त आराजी मौके पर पडत पडी हुई है किसी भी प्रकार की बाउन्ड्रीवाल आदि नही की हुई है उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण नही किया गया है मौके पर पटवारी हल्का की उपस्थिति मे नक्शा एंव तैयार मौका रिपोर्ट मय प्रमाणित मौका फोटोग्राप पेश किये गये है

वकुलाय की बहस सुनी गई वकुलाय द्वारा जबाव एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को ही दोहराया गया हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधि. के निर्णय से पूर्व तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति पर गौर करना होता है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

1 प्रथम दृष्टया केस :—न्यायालय को सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (राजस्व रिकार्ड) पर गौर कर यह देखना है कि आया प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है अथवा नहीं। प्रार्थी ने प्रा0पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–74 वाके ग्राम मूगरका तहसील अलवर पेश की है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी के अप्रार्थी सम्पूर्ण हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है चूकि न्यायिक सिद्वान्तो के अनुरूप भी रिकार्डड खातेदार को अस्थाई/स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है दावे में तनकीयात एंव साक्ष्य व सबूत के आधार पर मेरिट पर निर्णय किया जावेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के हक में साबित होते है।

2 सुविधा का सन्तुलनः—अप्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड काश्तकार खातेदार है संलग्न राजस्व दस्तावेजात से इसकी पुष्टि होती है। प्रार्थी ने जबाव प्रा0 पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी कृषि से अकृषि प्रयोग मे ले रहे है परन्तु ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो नाही साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जबकि अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थी ने बकायदा एम एस ई मी मे सूक्ष्म लघु और मध्यम उधम मंत्रालय मे रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है ताईद मे एकनोलेजमेन्ट दिनॉक 11–10–2016 की प्रति पेश की एंव तहसील अलवर मे प्रस्तुत भूमी पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के आवेदन की रिसिप्ट सहित प्रति पेश की गई तथा गूगलफोटो के जर्ये फोटोग्राप पेश कि गई जिसमे भी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण प्रर्दशित नही हो रहा है अप्रार्थी के कथनो की काफी हद तक प्रमाणिकता वहस दौरान प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट से होती है कि आराजी मौके पर पडत पडी हुई है किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण अथवा आराजी के बाउण्ड्रीवाल आदि कुछ भी नही किया गया है मौके के प्रमाणित फोटोग्राप भी पेश किये गये है जिससे भी अप्रार्थी के कथनो की काफी हद तक पुष्टि होती है इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में साबित होता है।

3 <u>अपूर्णीय क्षति :—</u>अप्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार भी अप्रार्थी की खातेदारी आराजी पर पडत है वादगस्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण अथवा बाउन्ड्रीवाल आदि कुछ भी नही किया गया है इस प्रकार प्रार्थी के मुखालफाना के आधार पर रिकार्डेड खातेदार को

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के हक में पाये जाते है तो नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी को ना होकर अप्रार्थीगण को है। सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुके है तो नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी को ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में पाई जाती है।

अतः यह स्पष्ट है कि अस्थाई निषेधाज्ञा देने के लिए तीनों शर्ते प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति क्षति पूरी होनी चाहिए। यहां तीनो बिन्दु केस अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम आराजी खसरा नम्बर 312 वाके ग्राम मूगस्का तहसील अलवर खारिज किया जाता है।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 20 –1–25 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर